

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1403] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940 No. 1403] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2018

का. **आ**. 1549(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र देखें सं. का.आ. 863(अ) दिनांक 21 फरवरी, 2017 के भारतीय मानक ब्यूरो विनियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम (1) एवं नियम 16एफ के उप-नियम (1) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उपखंड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

(i) पृष्ठ 2 पर, अनुसूची के क्रम संख्या (1), कालम (2) में निम्न प्रतिस्थापित करें

IS 14286 / IEC 61215 IS / IEC 61730 (Part 1) IS / IEC 61730 (Part 2)



2100 GI/2018 (1)

(ii) पृष्ठ 2 पर, अनुसूची के क्रम संख्या (2), कालम (2) में निम्न प्रतिस्थापित करें

IS 16077 / IEC 61646 IS / IEC 61730 (Part 1) IS / IEC 61730 (Part 2)



(iii) पृष्ठ 2 अनुसूची के क्रम संख्या (3) पर प्रविष्टि हटाएं

[फा. सं. के. प्र. वि.-III/8:1]

एम वी एस डी प्रसादा राव, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (प्रमाणीकरण), बीआईएस

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th April, 2018

S.O. 1549(E).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary in pursuance of sub-rule (1) of the Rule 9 and sub-rule (1) of the Rule 16F of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, of the Gazette of India, *vide* S.O. 863(E), dated 21st February 2017:

(i) At page 4, Sl. No. (1) in column (2) of the schedule-

Substitute the following for the existing:

IS 14286 / IEC 61215 IS / IEC 61730 (Part 1) IS / IEC 61730 (Part 2)



(ii) At page 4, Sl. No. (2) in column (2) of the schedule-

Substitute the following for the existing:



(iii) Delete the entry at page 4, Sl. No. (3) of the schedule

[F. No. CMD-III/8:1]

M V S D PRASADA RAO, Sc.-G & Dy. Director General (Certification), BIS